

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू  
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 94 / 2023

दायर दिनांक-11.07.2023

- 1- नारायण पुत्र सुखा
  - 2- नरसीराम पुत्र गणपतराम
  - 3- मूलचन्द पुत्र गणपतराम
  - 4- शिवराम पुत्र गणपतराम
- जाति माली निवासीगण बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

.....वादीगण

बनाम

- 1- छोटूराम पुत्र गणपतराम
  - 2- पूर्णमल पुत्र गणपतराम
  - 3- सुलतान पुत्र गणपतराम
  - 4- जमना देवी पुत्री गणपतराम
  - 5- रूकमणी देवी पुत्री गणपतराम
- जाति माली निवासीगण बागोरियों की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।
- 6- नानची देवी पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।
  - 7- मूलचन्द पुत्र छोटूराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)।
  - 8- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)।

.....प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री दयाराम सैनी  
वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती  
व नक्शा दुरुस्ती

—:: निर्णय ::—

दिनांक-17.01.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम बागोरियों की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 रकबा 0.1700 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से दर्जशुदा है, उक्त भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 के दक्षिण दिशा में वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की भूमि अवस्थित है जिसका रकबा 0.4000 हैक्टर है तथा मौके पर भी इसी रकबा अनुसार काबिज है, परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में वादीगण के खेत व प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के खेत के मध्य कोई सीमा अंकित नहीं है। नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी दावे के साथ प्रस्तुत है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 के दक्षिण दिशा में वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की भूमि अवस्थित है जिसका सन् 1979-80 की नक्शा सीट अनुसार पुराना खसरा नम्बर 2740 रहा है व रकबा 0.4000 हैक्टर है तथा मौके पर भी इसी रकबा अनुसार काबिज है, परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती की वजह से वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में वादीगण का उक्त खसरा नम्बर पुराना 2740 का नया खसरा नम्बर 302 डाला परन्तु नक्शा

ए सी (न.क.ट्रे.)  
नवलगढ़

ट्रेस में मौके के विपरीत नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया, वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 302 की भूमि रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रही है, जिस पर मौके पर सड़क डली हुई है तथा वादीगण के उक्त खसरा नम्बर के रकबा 0.4000 हैक्टर को खसरा नम्बर 2275/2046 में मिलाकर गलत अंकित कर दिया, यानिकि वादीगण के खेत व प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के खेत खसरा नम्बर 2275/2046 के मध्य कोई सीमा नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं है। इस वाद में जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित कोई विवाद नहीं है, नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती का विवाद है। उक्त खसरा नम्बर 2275/2046 का रकबा जमाबन्दी में 0.1700 हैक्टर दर्ज है तथा मौके पर भी इसी अनुसार काबिज है, परन्तु उक्त खसरा नम्बर 2275/2046 में वादीगण की भूमि का रकबा 0.4000 हैक्टर मिलाकर वादीगण की भूमि को नक्शा ट्रेस में प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के खसरा नम्बर 2275/2046 में मिलाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में गलत अंकित कर दिया जिससे वादीगण के खेत रकबा 0.4000 हैक्टर का कोई खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ तथा नक्शा ट्रेस में प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के खेत खसरा नम्बर 2275/2046 का रकबा बढ़ गया; जबकि जमाबन्दी में उनका रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज है, जो सही दर्ज है। अब वादीगण ने दिनांक 26.06.2023 को राजस्व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तब वादीगण को इस गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई कि वादीगण के खेत के रकबे का नक्शा ट्रेस में कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं हुआ। हालांकि इस गलत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस से वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु भविष्य में कभी भी प्रतिवादीगण नं. 6 व 7 गलत राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस के आधार पर कोई कानून विरुद्ध कार्यवाही को अन्जान दे सकते हैं। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 का नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज कर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से तथा नक्शा सीट सन् 1979-80 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 2740 के माप अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा 0.4000 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर अंकित कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषित की जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक है। इसलिये वादीगण के लिये दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

इस्तदुआ वादीगण यह कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावें कि :- उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 का नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज कर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से तथा नक्शा सीट सन् 1979-80 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 2740 के माप अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा 0.4000 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर अंकित कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषित की जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जावें।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु शिवराम तथा घासीराम के चिफ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श-1 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78 प्रदर्श 04 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 05 नकल नक्शा सीट आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस में वाद-पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 का नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज किया जाकर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से तथा नक्शा सीट सन् 1979-80 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 2740 के माप अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में

0.4000 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर अंकित कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

-:: आदेश ::-

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियों की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 का नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज किया जाकर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से तथा नक्शा सीट सन् 1979-80 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 2740 के माप अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा 0.4000 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर अंकित कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सेनी )  
सहायक ~~क्लर्क~~ एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ  
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती  
व दुरुस्ती नक्शा


मुकदमा सं०:-94/2023

( नारायण बनाम छोटूराम आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.01.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बागोरियों की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2275/2046 का नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार रकबा 0.1700 हैक्टर दर्ज किया जाकर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 6, 7 के नाम से तथा नक्शा सीट सन् 1979-80 में दर्ज पुराना खसरा नम्बर 2740 के माप अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा 0.4000 हैक्टर का अलग खसरा नम्बर अंकित कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.01.2025 को जारी की गई।

  
सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ  
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00